

सं० डी-31016/09/2005-सामान्य

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 02.12.2016

सेवा में,


सूची अनुसार

विषय:- पुराने फर्नीचर इत्यादि बेचने हेतु।

महोदय,

इस मंत्रालय द्वारा आपको निम्नलिखित पुराने फर्नीचर इत्यादि को जैसा व जहाँ है के आधार पर खरीदने हेतु सील बन्द निविदा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप किसी भी कार्य दिवस पर दिनांक. 06.12.2016 तक सामान के निरीक्षण हेतु केयरटेकर, श्री सुनील कुमार, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, से सम्पर्क कर सकते हैं:-

सरदार पटेल भवन		
क्र० सं०	सामानो का नाम	सामानो की संख्या
1.	लोहे की रेक	4
2.	सेन्टर टेबल बडी	1
3.	लकडी की गोल टेबल	1
4.	नोटिस बोर्ड बडी वाली	3
5.	टेबल लोहे वाली	5
6.	कम्प्युटर टेबल	2
7.	प्लास्टिक कुलर(बिना मोटर के)	3
8.	वॉटर कुलर	3
9.	ऑयल हिटर	1
10.	स्टेपलाईजर	1
11.	हॉटकेश	4
12.	पंखा दिवार वाला और स्टेण्ड वाला	3
13.	प्लास्टिक कुर्सी	25
14.	फायर सिलेण्डर	52
15.	लकडी की कुर्सी	3



02/12/16

16.	लकडी वाली टेबल	3
17.	वॉयलर 10 लीटर	2
18.	लोहे का फोल्डर	1
19.	टेबल की दराज	1
20.	लोहे वाला बैटरी स्टेण्ड	1
21.	मिक्स कुर्सिया लोहे वाली	15
22.	लोहे की शीशे वाली अलमारी	7
23.	पार्टिसन फ्रेम	1
24.	लकडी के रैक	5
25.	यु0 पी0 एस0 छोटे	2
26.	आरो मशीन	3
27.	वाहनो के पुराने टायर	12
28.	लोहे की अलमारी	7
रामा कृष्णा पुरम व जीवन प्रकाश बिल्डिंग		
29.	लोहे की अलमारी	8
30.	टेबल	10
31.	कुर्सी	9
32.	अलमारी छोटी वाली	2
33.	लकडी वाली रैक	1
34.	लोहे की रैक	4
35.	रैक छोटी वाली	2
36.	रैक शीशे वाली	1

2. निविदा के साथ जमानत राशि के तौर पर इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम, रू0 5000/- (रू0 पाँच हजार मात्र)का डिमान्ड ड्राफ्ट संगलन करें। बिना डिमान्ड ड्राफ्ट के निविदा मान्य नहीं होगी। आपके द्वारा इस मंत्रालय के नियम व शर्तों का उल्लंघन या निविदा के मंजूर होने पर सामान खरीदने से इन्कार करने पर आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

Shu
02/12/16

3. आप दिनांक 08.12.2016 को अपराह्न 3 बजे तक निविदा, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली के स्वागत कक्ष के बाहर निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं। सभी प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे कमरा न० 201 सरदार पटेल भवन में खोली जाएँगी। आप स्वयं या आपके प्रतिनिधि उक्त समय पर उपस्थित हो सकते हैं।
4. सफल निविदा में वर्णित राशि मंजूर होने पर एक मुश्द राशि का ड्राफ्ट इस मंत्रालय के सरकारी खजाने में जमा कराने के उपरान्त ही सामान के स्वीकृति दी जाएगी। आदेश पत्र के प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर एक मुश्द राशि जमा करानी होगी अन्यथा प्रतिभूति राशि ₹0 5000/- (₹0 पाँच हजार मात्र) जब्त कर ली जाएगी।
5. सफल निविदा की कम्पनी को सामान 10 दिन के भीतर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा मंजूर राशि का 2% प्रति सप्ताह अनुसार अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी।
6. इस मंत्रालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।


(सुन्दर सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

संगणक केन्द्र, आर० के० पुरम, नई दिल्ली को उक्त पत्र मंत्रालय के वेबसाइट में डालने हेतु।